

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 3/2009-10


रमेश प्रसाद वर्मा।  
बनाम  
शिब कुमारी देवी एवं अन्य।  
आदेश


यह वाद दिनांक- 28.05.2009 को वादी रमेश प्रसाद वर्मा, पिता- स्व० भिकु राम उर्फ भिकु प्रसाद वर्मा, निवासी ग्राम- जैतगढ़, पो०- जैतगढ़, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का Partition के लिए प्रतिवादी शिब कुमारी देवी, पति- स्व० भिकु राम उर्फ भिकु प्रसाद वर्मा एवं 02 अन्य, निवासी ग्राम- जैतगढ़, पो०- जैतगढ़, थाना- जगन्नाथपुर, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध कोल्हान दिवानी वाद दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 27.12.2018 से उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता के द्वारा उपस्थिति नहीं दी जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।

  
01.12.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

  
01.12.22  
अपर उपायुक्त,  
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।